कार्यालय जिलाधिकारी, आजमगढ़

पत्रांक 6179/पं0/एस0बी0एम0(जी0)/सा0शौ0/ 2023-24 दिनांक 05/12/2023

समस्त खण्ड विकास अधिकारी।

समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)

जनपद-आजमगढ़।

विषय-स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव के सम्बन्ध में।

कृपया उपयुक्त विषयक निदेशक पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पत्र संख्या5/1770/2023-5/127-III/2018 एस0बी0एम0जी0 लखनऊ दिनांक 29 नवम्बर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से अवगत कराया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनान्तर्गत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण गांवों में इस उददेश्य से कराया गया है कि जिन परिवारों के पास स्थल की उपलब्धता न होने के कारण व्यक्तिगत शौचालय निर्मित कराया जाना सम्भव न हो, गांव में अस्थायी /प्रवासी आबादी निवास करती हो को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण ऐसे उपयुक्त स्थल पर कराये जाने की अपेक्षा की गई है, जो सभी के लिए आसानी से सुलभ हो, पानी आदि की उपलब्धता हो तथा जिसका लम्बे समय तक रख-रखाव किया जा सके। सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिये शासनादेश संख्या- 1758 दिनांक 15.07.2020 के माध्यम से विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसमें सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिये केयरटेकर नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गई है तथा प्रति सामुदायिक शौचालय रू0 9000/-प्रति माह की दर से केयर टेकर के मानदेय एवं साफ-सफाई के लिये केन्द्रीय वित्त की धनराशि से वहन करने की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव का यह कार्य व दायित्व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कतिपय जन प्रतिनिधियों द्वारा इन सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव, समय से न खुलने तथा केयरटेकर को मानदेय एवं साफ -सफाई आदि के लिये भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शिथिलता बरते जाने की शिकायत मा0 मुख्यमंत्री जी से की गई है । जिसके क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा रोष प्रकट करते हुए प्रदेश में निर्मित सभी सामुदायिक शौचालयों के सुव्यवस्थित संचालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं अग्रेतर वर्षों की किश्त निर्गत किये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये गये है:-

1- RLBS shall be deemed to be eligible for the grants if they are duly constituted i-e if duly elected bodies are in place except for States/ Areas where Part IX of the Constitution does not apply- In case all the bodies are not duly constituted grants shall be released to the State on actual allocation/pro-rata basis for duly constituted only-

2- Uploading of GPDPS/BPDPS/ DPDPS of the RLBS for FY FY 2023-24 as the case may be in eGram Swaraj-

3- RLBS have to mandatorily onboard on eGramSwaraj & PEMS for XV FC Grants' transactions-

All RLBS [100%] of RLB's audit of annual accounts for FY 2021 -22 are completed on AuditOnline-

5- All RLBS [100%] of RLB's provisional accounts [year book closed status on eG for FY 2022-23 are available in eGramSwaraj

6- Unspent Balance of XIV FC Grants with the State should not be more than 10% of the instalment under consideration-

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव एवं संचालन कराते हुए केयर टेकर को भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए भुगतान की स्थिति को अपडेट कराये एवं 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं अग्रेतर वर्षों की किश्त निर्गत किये जाने के संबंध में साप्ताहिक एवं मासिक समीक्षा बैठकों में व्यक्तिगत रूप से अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें जिससे पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग अंतर्गत अग्रेतर वर्षों की किश्ते समय से प्राप्त हो सकें तथा सामुदायिक शौचालयों के सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक-~~यथोक्त~~

जिलाधिकारी
आजमगढ़।

पत्रांक- /दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़।

2-उपनिदेशक (पंचायत), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ ।

3-जिला पंचायत राज अधिकारी,आजमगढ़।

4-उपायुक्त स्वतः रोजगार आजमगढ़।

जिलाधिकारी
आजमगढ़।